भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 927 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030

†927. श्री मनोज तिवारी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री वी. वैथिलिंगम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्तरीय बंदरगाहों और समुद्री अवसंरचना के विकास की दिशा में मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रूज पर्यटन, जहाज निर्माण, जहाज पुनर्चक्रण और तटीय नौवहन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास, व्यवसाय को सुगम बनाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(घ) भारत के समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार का सांचोर के भावातड़ा में एक शुष्क बंदरगाह का निर्माण करने का विचार है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): मैरीटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 के तहत, विश्व-स्तरीय पत्तनों और मैरीटाइम अवसंरचना को क्षमता संवर्धन, प्रौद्योगिकी को अपनाना, नए बर्थ का विकास, मशीनीकृत कार्गो हैंडलिंग, उन्नत डिजिटल तकनीकों को अपनाना, मल्टीमॉडल संपर्कता में सुधार, सतत् पत्तन प्रचालन

और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के ज़रिए निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय पत्तन और समुद्री अवसंरचना को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2030 के लक्ष्यों और उनसे जुड़ी उपलब्धियों का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख): <u>क्रूज़ पर्यटन</u>: क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 19.06.2025 को भारतीय पत्तनों पर क्रूज़ जलयानों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)-3 जारी की;

ii. विशाखापट्टणम (सितंबर 2023), मुंबई (सितंबर 2025) और चेन्नई (जून 2026) में इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनलों को अपग्रेड और चालू किया गया है;

iii. ईस्ट कोस्ट क्रूज़ सर्किट में पुदुच्चेरी को शामिल करके इसका विस्तार किया गया है;

iv. सभी नौ (09) क्रूज़ गंतव्य और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में 'डेस्टिनेशन टास्क फोर्स' का गठन किया गया है ताकि हितधारकों के बीच तालमेल बेहतर हो सके;

v. क्यूआर-आधारित आव्रजन निकासी प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें क्रूज़ पोतों के लिए 'एनरूट इमिग्रेशन क्लीयरेंस' की सुविधा है, जिससे प्रति यात्री आव्रजन निकासी का समय लगभग 30 सेकंड तक कम हो गया है;

vi. क्रूज यात्रियों और सामान की सीमा शुल्क निकासी के लिए मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) शुल्क को सीबीआईसी परिपत्र दिनांक 15.06.2026 के माध्यम से छूट दी गई है, ताकि क्रूज यात्रियों की तेजी से और निर्बाध निकासी को सुविधाजनक बनाया जा सके;

vii. क्रूज़ पोतों के लिए सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने के लिए डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और स्व-घोषणा तंत्र शुरू किए गए हैं;

viii. क्रूज़ जलयानों से आने वाले विदेशी पर्यटकों के समूहों के प्रवेश को आसान बनाने के लिए ई-ग्रुप विज़िट वीज़ा शुरू किया गया है;

ix. क्रूज़ पोतों को अनिवार्य रूप से बर्थिंग दी जाती है, आउसटिंग शुल्क हटा दिया गया है और रियायती समान टैरिफ दिया जाता है; और

x. विदेशी क्रूज़ जलयानों के लिए कैबोटेज में छूट दी गई है।

<u>पोत-निर्माण:</u> सरकार ने पोत निर्माण क्षेत्र को फिर से सुदृढ़ करने के लिए 4-स्तंभीय कार्यनीति अपनाई है। सरकार ने घरेलू क्षमता, मैरीटाइम वित्तपोषण, शिपयार्ड विकास, कौशल विकास और सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंज़ूरी दी है। इसके मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विदेशी शिपयार्ड की तुलना में भारतीय शिपयार्ड को होने वाली लागत संबंधी नुकसान को दूर करने और दायरा बढ़ाने के लिए ₹24,736 करोड़ परिव्यय के साथ 'पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना' (एसबीएफएस);

ii. क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) 25,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का समुद्रीय निवेश निधि और 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज प्रोत्साहन निधि शामिल है;

iii. ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टरों को सहायता देते हुए प्रति वर्ष 4.5 मिलियन सकल टन भार तक क्षमता विस्तार हेतु ₹19,989 करोड़ के परिव्यय वाली पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस); और

iv. नीतिगत सुधारों की शुरुआत की गई, जिसमें बड़े जलयानों को अवसंरचनात्मक रूप में वर्गीकृत करना और मांग का एकत्रीकरण शामिल है। सरकार ने 19 सितंबर 2025 को 10,000 या उससे अधिक सकल टन भार (जीटी) वाले भारतीय ध्वजांकित वाणिज्यिक जलयानों को अवसंरचना का दर्जा अधिसूचित किया। भारत में बने जलयानों के मामले में, 1,500 जीटी या उससे बड़े आकार वाले जलयानों को अवसंरचना का दर्जा दिया गया। मांग एकत्रीकरण के हिस्से के रूप में, 400 से अधिक जलयानों के बेड़े अधिग्रहण की योजना तैयार की गई है जिससे भारतीय शिपयार्डों के लिए दीर्घकालिक ऑर्डर प्राप्ति दृष्टिगोचर होता है।

<u>पोत पुनर्चक्रण:</u> पोत पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने लौह स्क्रैप विकास निधि (एफएसडीएफ) के तहत 109 भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को यार्ड आधुनिकीकरण में सहायता के लिए ₹ 53.5 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है। गुजरात के अलंग में एक बहुविशेषज्ञ अस्पताल के विकास और संचालन के लिए एफएसडीएफ से प्रति वर्ष 2.49 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, गुजरात के अलंग में एक अन्य प्राथमिक अस्पताल के रखरखाव और संचालन के लिए भी पारिवारिक सुरक्षा निधि (एफएसडीएफ) के तहत प्रति वर्ष 12 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की जाती है। इन उपायों से शिपयार्डों को हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) के अनुरूप बनने में मदद मिली है और वर्तमान में अलंग में 115 कार्यरत पोत पुनर्चक्रण यार्ड एचकेसी के अनुरूप हैं। एचकेसी के नियमों का पालन करने से भारत को वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड्स को वैश्विक पोत परिवहन बेड़े के लिए सुरक्षित, प्रमाणिकृत और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार जगहों के तौर पर पेश किया जा सकता है।

ii. प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना शुरू की है, जिसके तहत पोत स्वामियों को पुनर्चक्रित पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट नोट प्राप्त होता है, जब पुनर्चक्रण, एचकेसी के अनुरूप भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड में किया जाता है। इस क्रेडिट नोट का उपयोग भारतीय शिपयार्ड में निर्मित नए पोतनिर्माण के मूल्य के 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे घरेलू पोत पुनर्चक्रण और पोत निर्माण दोनों को बढ़ावा मिलता है।

<u>तटीय पोत परिवहन:</u> तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में 'तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करना है।

(ग): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में कार्यक्षमता, पारदर्शिता और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल और विनियामक सुधार लागू किए हैं। मैरीटाइम सिंगल विंडो, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, एमएआईटीआरआई, ई-समुद्र, ई-परीक्षा और जल समृद्धि पोर्टल जैसी पहलों ने डॉक्यूमेंटेशन, व्यापार प्रक्रियाओं, विनियामक सेवाओं और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को आसान और सुव्यवस्थित बना दिया है।

जहां तक कौशल विकास का संबंध है, सरकार ने समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करके, समुद्री संस्थानों के पाठ्यक्रम को उन्नत करके और उद्योग-उन्मुख कौशल कार्यक्रमों को बढ़ाकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के समुद्रीय विकास को समर्थन देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और कुशल कार्यबल का निर्माण करना है। किए गए विभिन्न उपायों का विवरण इस प्रकार है:

i. 11 शिपयार्डों ने 8 तटीय राज्यों के 34 सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईटीआई) के साथ ओजेटी के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत 150 घंटे का ओजेटी (ऑन-जॉब ट्रेनिंग) मॉडल शुरू किया गया है। इन यार्डों में अब तक 727 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ii. समुद्री एवं पोत-निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) द्वारा पश्चिम बंगाल के 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम को लागू किया गया है।

iii. 9 शिपयार्ड में प्रारंभिक कौशल अंतराल अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

iv. कौशल विकास की सुविधा के लिए भारतीय पोत प्रौद्योगिकी केंद्र (आईएसटीसी) को धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।।

v. पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 92,697 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/कुशल/अतिकुशल बनाया गया है।

vi. पोत निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (केओआईसीए) के बीच कार्यान्वयन योजना (पीओआई) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ): विभिन्न पत्तनों, पोत परिवहनों और जलमार्ग विकास पहलों के माध्यम से, वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) 2025 के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए), मुंद्रा और पिपावाव सहित 3 भारतीय पत्तन वैश्विक स्तर पर शीर्ष 30 कंटेनर पत्तनों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत पोत पुनर्चक्रण में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो समुद्री क्षेत्र में इसकी बढ़ती ताकत और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। पत्तन क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विस्तृत जानकारी **अनुबंध II** में दी गई है।

(ङ): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) शुष्क पत्तनों (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी कहलाता है) से संबंधित मामलों का निपटान करता है। सीबीआईसी ने सूचित किया है कि कोई भी संगठन, चाहे सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का हो, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) स्थापित कर सकता है। सीबीआईसी द्वारा आईसीडी स्थापित करने के लिए दिनांक 05.11.2020 के परिपत्र सं. 50/2020-सीमा शुल्क में यथानिर्धारित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में, संचौर के भावटाडा में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (जिसे सामान्यत: पर शुष्क पत्तन कहा जाता है) स्थापित करने के लिए ऐसे किसी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध ।

वर्ष 2030 के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों का विवरण।

क्र.सं.	**मानदण्ड**	**2013-14**	**2025-26**	**लक्ष्य 2030**
1.	पत्तन क्षमता	1,400	2,818	3,500
2.	पत्तनों से होने वाला कार्गो थ्रूपुट (मिलियन मीट्रिक टन)	972	1,668	2,200
3.	सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा संभाले गए महापत्तनों के कार्गो का प्रतिशत	~44%	66%	85%
4.	चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या	3	32	16
5.	अंतर्देशीय जलमार्गों से परिवहन की कुल क्षमता (मिलियन टन में)	18	218.24	200
6.	क्रूज़ कॉल की संख्या	102	224	1,000
7.	पोत पुनर्चक्रण रैंक	पहला	पहला	पहला
8.	महापत्तनों में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रतिशत हिस्सेदारी	<1%	28%	60%

अनुबंध II

भारत में पत्तनों के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक (केपीआई):

क्र.सं.	**मानदण्ड**	**2014-2015**	**2025-2026**	**% में सुधार**
1.	महा और गैर-महा पत्तनों पर कुल क्षमता (एमटीपीए में)	1,561	2,817	80
2.	महा और गैर-महा पत्तनों पर कुल माल ढुलाई (मीट्रिक टन में)	1,052	1,668	59
3.	महापत्तनों पर कुल क्षमता (एमटीपीए में)	873	1,728	98
4.	महापत्तनों पर संचालित कुल माल (मीट्रिक टन में)	581	915	57
5.	महापत्तनों पर जलयानों का औसत टर्नअराउंड समय (कुल मिलाकर) घंटों में	96	48.8	49
6.	महापत्तनों के पोत बर्थिंग दिवस पर प्रति पोत औसत आउटपुट	12,458	18,915	52
